

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)  
शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध  
चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

(सह-चिकित्सीय परिषद् चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से अनुमति तथा  
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त)

Website:- [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in)

फोन : 0731-2528516, फ़ैक्स: 0731-2514328,

E-mail:- [physiotherapymgm@gmail.com](mailto:physiotherapymgm@gmail.com), [mahsiindore@gmail.com](mailto:mahsiindore@gmail.com)

सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र  
स्ववित्त पाठ्यक्रम



निर्देशिका एवं आवेदन पत्र

शैक्षणिक सत्र 2019-2020

MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI)

कार्यालय, के.ई.एच. कम्पाउण्ड, टी.बी. हॉस्पिटल के पास,  
स्कूल ऑफ नर्सिंग भवन, एम.वाय. हॉस्पिटल परिसर, इन्दौर 452001 (म.प्र.)  
हेल्पलाईन नम्बर :-8839234365, 8878600647, 9958471898, 9826370184

## महत्वपूर्ण तिथियाँ

1.	नियम-निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट <a href="http://www.mgmmcindore.in">www.mgmmcindore.in</a> पर उपलब्ध होने की तिथि	26-06-2019 से 30-07-2019
2.	भरे हुए आवेदन पत्र MAHSI कार्यालय, इन्दौर में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि	05-08-2019 सांय 4.00 बजे तक
3.	विलम्ब शुल्क रु. 200/- के साथ आवेदन पत्र MAHSI कार्यालय, इन्दौर में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि	07-08-2019 सांय 4.00 बजे तक
4.	प्रावीण्य सूची की घोषणा (संस्था की वेबसाइट पर तथा संस्था के नोटिस बोर्ड पर)	14-08-2019 सांय 4.00 बजे तक
5.	प्रावीण्य सूची की घोषणा से संबंधित आपत्ति (यदि कोई हो तो) MAHSI कार्यालय, इन्दौर में दर्ज कराने की तिथि	16-08-2019 सांय 4.00 बजे तक
6.	काउन्सलिंग द्वारा प्रवेश एवं फीस जमा करने की तिथियाँ (काउन्सलिंग में स्वयं को उपस्थित होना अनिवार्य है।)	
	अ. स्नातक/ डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु काउन्सलिंग	26-08-2019 प्रातः 9.00 बजे से एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज में
	ब. डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउन्सलिंग	27-08-2019 एवं 28-08-2019 प्रातः 9.00 बजे से एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज में
7.	कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि	02-09-2019 प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में
8.	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारी के लिए	Website:- <a href="http://www.mgmmcindore.in">www.mgmmcindore.in</a> नियमित रूप से देखें।

नोट : 1. उपरोक्त तिथियों / काउन्सलिंग के स्थान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की अवस्था में सूचना वेबसाइट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) पर प्रसारित की जाएगी।

2. काउन्सलिंग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया हेतु पृथक से कोई सूचना पत्र/कॉल लेटर जारी नहीं किये जावेंगे , पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनाये मेडिकल कॉलेज के वेबसाइट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) के माध्यम से प्रसारित की जावेंगी । अतः वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे ।

**सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र (स्ववित्त)  
पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु**

**दिशा निर्देश**

आवेदन शुल्क:- आवेदक को आवेदन पत्र का शुल्क राशि रूपये 500/- (सामान्य वर्ग) एवं रूपये 300/- (आरक्षित वर्ग) कार्यालय में उपस्थित होकर नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट या RTGS/NEFT द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, इन्दौर के बैंक खाता क्रमांक **53003590208** (आई.एफ.सी. कोड **SBIN0030359**) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एम.वाय. हॉस्पिटल शाखा, इन्दौर में जमा कर बैंक रसीद की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बैंक रसीद की प्रति संलग्न नहीं होने पर आवेदन-पत्र अमान्य कर दिया जाएगा।

निर्धारित समय अवधि में प्राप्त आवेदन शुल्क :-

सामान्य वर्ग हेतु :रु. 500/-

आरक्षित वर्ग हेतु :रु. 300/-

नोट :-

1. आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) पर दिनांक 26-06-2019 से 30-07-2019 तक उपलब्ध होंगे एवं दिनांक 05-08-2019 सांय 4.00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राचार्य, MAHSI कार्यालय, के.ई.एच. कम्पाउण्ड, टी.बी. हॉस्पिटल के पास, स्कूल ऑफ नर्सिंग भवन, इन्दौर" अथवा स्वर्गीय श्री राजेन्द्र धारकर ओ.पी.डी. (नई ओ.पी.डी.), फिजियोथेरेपी विभाग, तलघर, एम.वाय. हॉस्पिटल, इन्दौर के पते पर लिफाफे के ऊपर 'पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु' लिखकर जमा करना होगा।
2. निर्धारित तिथि 05-08-2019 को सांय 4.00 बजे के बाद एवं 07-08-2019 सांय 4.00 बजे तक प्राप्त आवेदन हेतु विलम्ब शुल्क रु 200/- अतिरिक्त होगा एवं 07-08-2019 सांय 4.00 बजे पश्चात प्रस्तुत/प्राप्त आवेदन स्वीकार/विचार क्षेत्र से बाहर होंगे। डाक द्वारा विलम्ब के लिए संस्था जवाबदार नहीं होगी।
3. आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक अंक सूची एवं प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों पर उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होकर गठित समिति के समक्ष अपना पाठ्यक्रम चयन कर पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करना होगा। अन्यथा प्रवेश संबंधी दावा समाप्त माना जावेगा।

**Akash Tripathi**  
IAS  
COMMISSIONER  
INDORE DIVISION, INDORE



Off. : 0731-2435111  
Res : 0731-2700888  
Fax : 0731-2539552  
E-mail : commindore@nic.in  
akashtripathi1975@gmail.com  
D.O. Letter No. PA/2019/1590  
Date 18/6/2019

## MESSAGE

It gives me immense pleasure to welcome the student for admission in Paramedical Courses in MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI) established in Indore. The institute offers for both Graduate and Postgraduate level Courses in Physiotherapy along with other Paramedical Graduate, Diploma & Certificate Courses.



The new campus of the institute being centrally located at Madhumilan Square in Indore will offer a convenience and closure vicinity for students to the MGM Medical College & Associated Hospitals for academic & clinical exposure.

I am of the firm belief that this pioneer institute of physiotherapy and paramedical disciplines would be capable to cater to the need of skilled and well trained manpower which is being direly felt for a long.

I wish a very successful journey for the institute and students.

(AKASH TRIPATHI)  
Commissioner,  
Indore Division, Indore

*Prof. Dr. R. S. Sharma*  
*Vice-Chancellor*  
*MD, DM Cardiology*  
*(AIIMS, New Delhi)*



*MP Medical Science University*  
*NSCB College Campus Jabalpur*  
*Pin-482 003*  
*Phone: 0761-2670340, 2670334, Fax: 0761-2670333*  
*Mobile: - 9827066012*  
*Email: - docrssharma@gmail.com, web: - mpmsu.edu.in*

## **MESSAGE**

It is really great pleasure to know that MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), MGM Medical College, Indore is starting admission procedure for various courses. It is the pioneer Government institute to run Undergraduate & Postgraduate courses of physiotherapy in Madhyapradesh State.



The physiotherapy is a growing profession in our state and it need to be taken to a global level. I hope that MAHSI will continued to be a good platform to prepare new physiotherapist for any chalanges in the community.

In my tenure as Vice Chancellor Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur is committed for health professionals and also to update their course and curriculam in the time with the advance knowledge and evolving stratgies globally for improve patint outcome.

I am sure that Physiotherapy student studing in this institution will gain tremendous knowledge skills and inspiration to work with zeal and commitment in their field and will be the become ifficiant physiotherapy professional for the community.

**Dr. R.S. Sharma**

MD, DM Cardiology (AIIMS, New Delhi)

**Vice Chancellor**

M.P. Medical Science University, Jabalpur.

**DR. JYOTI BINDAL**

M.B.B.S., M.S., F.A.C.S., F.I.C.O.G., F.I.C.S.  
LL.B., PGD HOSP. Management

*Déan*

M.G.M. Medical College, Indore



## सन्देश

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का एक अत्यंत पुरानी गौरवमयी परम्परा निभाने वाला संस्थान है। जिसे चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है। इस संस्थान में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल विषयों के छात्रों को सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।



लगभग 63 वर्ष पूर्व 78 वर्षीय किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल का उन्नयन कर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस गौरवमयी 138 वर्षीय इतिहास में महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, ग्यारह पंच ट्रस्ट कैंसर चिकित्सालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, मानसिक चिकित्सालय एवं मनोरमा राजे टीबी चिकित्सालय आदि महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ सम्मिलित हो रही हैं। इस श्रृंखला में 1997 से चरणबद्ध तरीके से सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम के अर्न्तत क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर, डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र का प्रबंधन एवं संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं सह-चिकित्सा का विस्तार करते हुए वर्ष 2018 में **स्टेट अलाइड हेल्थ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट** का गठन करते हुए 12 सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। वर्तमान में कुल 19 सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालित है।

इन पाठ्यक्रमों के महत्व के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा कि वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन एवं संचालन बिना सह-चिकित्सीय कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टॉफ) के एक दिवा स्वप्न सा है। मेरा यह भी मानना है कि ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूलभूत समस्याओं के समाधान में इस प्रकार के पाठ्यक्रम अत्यंत सहायक होंगे।

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी आकांक्षियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।

दिनांक 29-05-2019

(डॉ. ज्योति बिंदल)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर



**MGM ALLIED HEALTH SCIENCES INSTITUTE (MAHSI)  
MGM MEDICAL COLLEGE, INDORE (M.P.)**

(Permitted by M.P. state Govt. Dept. of Medical Education & affiliated to M.P. Medical Science University, Jabalpur -M.P.)  
Email: [physiotherapymgm@gmail.com](mailto:physiotherapymgm@gmail.com), [mahsiindore@gmail.com](mailto:mahsiindore@gmail.com) Ph. 0731-2528516 Fax. 0731-2514628

Ref...../ MAHSI/2019

Indore, Dated .....

**MESSAGE**

We are all set for admission and to welcome the students of UG, PG, Diploma & Certificate Courses. The health care delivery scene is evolving at a rapid pace in India and globally and to keep abreast with the evolving need, it is our endeavour at MGM Allied Health Science Institute (MAHSI) to inculcate the best clinical and human values in the students, enabling them to stand apart in today's health care world.



The academic ambience, senior professors and researchers of MGM Medical College, M.Y. Hospital & Associated hospitals provide a great learning experience to our students which make them excel in their respective domain.

To meet the ever increasing need of the students of Indore and various parts of state, a new campus is coming near KEH compound, Madhumilan square, M.Y. Hospital campus. The seats in various courses have also been increased to accommodate more students. A Hostel with requisite amenities for the students is also being built up by the institute at old sehere road, Indore.

For enhancing the exposure of the changing trends globally in the health care, the distinguished international faculty also visits and imparts knowledge to students of our Institute.

Wishing a bright future & best wishes.

(Dr. D.K. Taneja)

D. Orth, M.S. Ortho, F.A.M.S., F.R.C.S. (Eng.)

Founder Director

MGM Allied Health Sciences Institute, (MAHSI)  
Former Dean, MGM Medical College, Indore





**DR. POOJA SHUKLA,**

Registrar, M.P. Paramedical Council,  
3<sup>rd</sup> Floor, Platinum Plaza, Mata Mandir Road,  
Bhopal (MP) 462003

## **MESSAGE**

The M.P. Paramedical Council is extremely pleased to learn that MGM Medical College, Indore has leaped ahead in its aspiration for educational and human resource development in the year 2019-20 by commencing various new paramedical courses.



The council acknowledges and appreciates assiduous efforts by the MGM Medical College, Indore and hopes that such quest for development would be continuous and the benefits would be widespread in the state.

The M.P. Paramedical Council sincerely wishes all the management and staff a huge success of the newly introduced courses.

The council will always stand with all progress oriented steps and extends its blessings and support.

Dr. Pooja Shukla  
Registrar,

M.P. Paramedical Council, Bhopal

[www.mppmc.ac.in](http://www.mppmc.ac.in) [registrarmpparamedicalcouncil@gmail.com](mailto:registrarmpparamedicalcouncil@gmail.com)

Phone : 0755-2775768



## संरक्षक

### सलाहकार:

श्री शिवशेखर शुक्ला (IAS)  
प्रमुख सचिव  
चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.

श्री निशान्त वरवडे (IAS)  
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल

श्री आकाश त्रिपाठी (IAS)  
संभागायुक्त, इन्दौर एवं  
अध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद  
महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं  
संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव (M.S.)  
संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल

डॉ. डी.के. तनेजा,  
D.orth, MS orth, FAMS, , FRCS (Eng)  
(पूर्व अधिष्ठाता)  
संस्थापक निदेशक  
एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेस इस्टीट्यूट इन्दौर

डॉ. ज्योति बिन्दल  
M.S., F.A.C., F.I.C.S., F.I.C.O.G., LLB,  
PGD Hosp. Management  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय  
एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

### उच्च स्तरीय समन्वय समिति

- मुख्य समन्वयक, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम : डॉ. श्रीमति अनिता मूथा, माईक्रोबायलॉजी विभाग
- पाठ्यक्रम सलाहकार : डॉ. एस. बी. बंसल, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन
- : डॉ. अशोक पंचोनिया, प्रोफेसर, पैथालॉजी
- : डॉ. राहुल रोकडे, सामुदायिक चिकित्सा विभाग
- : डॉ. रामहरी मीणा, प्राचार्य, MAHSI
- : डॉ. प्रियांशु जोशी, एसो. प्रोफेसर फिजियोथेरेपी विभाग

: संबधित चिकित्सालय एवं अधीक्षक :

महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर
कैन्सर हास्पिटल	:	डॉ. रमेश आर्य
चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	:	डॉ. हेमन्त जैन
मानसिक चिकित्सालय	:	डॉ. रामगुलाम राजदान
मनोरमा राजे क्षय रोग चिकित्सालय	:	डॉ. सलील भार्गव
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग (एम.टी.एच. कम्पाउन्ड)	:	डॉ. अनुपमा दवे

: संबधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष :

एनाटॉमी विभाग	:	डॉ. अमीत जुल्का
फिजियोलॉजी विभाग	:	डॉ. रवीन्द्र वाघवानी
बायोकेमेस्ट्री विभाग	:	डॉ. पुर्णिमा डे सरकार
पैथोलॉजी विभाग	:	डॉ. सी.व्ही. कुलकर्णी
माईक्रोबायलॉजी विभाग	:	डॉ. अनिता मूथा
फार्माकोलॉजी विभाग	:	डॉ. पुजा सोलंकी
नेत्ररोग विभाग	:	डॉ. विजय भाईसारे
सर्जरी विभाग	:	डॉ. आर. के. माथुर
स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग	:	डॉ. निलेश दलाल
मेडिसिन विभाग	:	डॉ. वी.पी. पाण्डे
एक्स-रे विभाग	:	डॉ. अलका अग्रवाल
अस्थिरोग विभाग	:	डॉ. दिनेश कुमार सोनकर
नाक कान गला विभाग	:	डॉ. आर. के. मुदडा
सामुदायिक चिकित्सा विभाग	:	डॉ. संजय दीक्षित
एनेस्थिसिया विभाग	:	डॉ. के.के. अरोरा
फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर

## प्राढ्यक्रम का विवरण, प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक

क्र.स.	पाढ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाढ्यक्रम समन्वयक
--------	------------------	-------	-----------------	-------------------

### स्नातक पाढ्यक्रम

1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)	फिजियोथेरेपी	डॉ. प्रियांषु जोशी (शिक्षण समन्वयक)	डॉ. स्नेहा जोशी
2	बैचलर ऑफ आक्यूपेशनल थेरेपी(बीओटी)			डॉ. पूजा कौशिक
3	बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोग्राफर	एक्स-रे	डॉ. अलका अग्रवाल	डॉ. सौरभ अतराम

### डिप्लोमा पाढ्यक्रम

4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन	पैथोलॉजी	डॉ. सी.वी. कुलकर्णी	डॉ. पंकज शिंदे
5	डिप्लोमा इन एनेस्थिसिया टेक्निशियन	एनेस्थिसिया	डॉ. के.के. अरोरा	डॉ. रश्मि पाल
6	डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्निशियन	माइक्रोबायोलॉजी	डॉ. अनिता मूथा	डॉ. मनीश पुरोहित
7	डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री टेक्निशियन	बायोकेमेस्ट्री	डॉ. पूर्णिमा डे सरकार	डॉ. प्रवेश हरगोवकर
8	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निशियन	मेडिसीन	डॉ. वी.पी. पाण्डे	डॉ. योगेश जामरा
9	डिप्लोमा इन ह्युमन न्युट्रीशन टेक्निशियन	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	डॉ. हेमन्त जैन	डॉ.मंजू विश्वास
10	डिप्लोमा इन आथेल्मिक असिस्टेन्ट टेक्निशियन	नेत्र रोग	डॉ. विजय भाईसारे	डॉ. नितु कोरी
11	डिप्लोमा इन ब्लड ट्रान्सफ्यूजन टेक्निशियन	पैथोलॉजी	डॉ. सी.व्ही. कुलकर्णी	डॉ. योगेश पावडे
12	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	रेडियोथेरेपी	डॉ. रमेश आर्य	डॉ. देवेन्द्र चावडा

### प्रमाण पत्र पाढ्यक्रम

13	सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थेटर टेक्निशियन (ओ.टी.)	सर्जरी	डॉ. आर.के. माथुर	डॉ. अंकुर माहेश्वरी
14	सर्टिफिकेट इन रेस्पीरेट्री टेक्निशियन	टी.बी. चेस्ट	डॉ. सलील भार्गव	डॉ. सुनील मुकाती

## नियम एवं निर्देश

**अ. प्रवेश हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या**

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीट
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	4½ वर्षीय	100
2	बैचलर ऑफ आक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	4½ वर्षीय	30
3	बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोडायग्नोसिस टेक्नशियन	3 वर्षीय	20
4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्नशियन	2 वर्षीय	25
5	डिप्लोमा इन एनेस्थिसिया टेक्नशियन	2 वर्षीय	20
6	डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्नशियन	2 वर्षीय	25
7	डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री टेक्नशियन	2 वर्षीय	10
8	डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नशियन	2 वर्षीय	20
9	डिप्लोमा इन ह्युमन न्यूट्रिशियन	2 वर्षीय	20
10	डिप्लोमा इन आथ्लेटिक असिस्टेंट	2 वर्षीय	10
11	डिप्लोमा इन ब्लड ट्रान्सफ्यूजन	2 वर्षीय	25
12	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नशियन	2 वर्षीय	20
13	सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नशियन (OT)	1 वर्षीय	20
14	सर्टिफिकेट कोर्स इन रेस्पॉरेट्री टेक्नशियन	1 वर्षीय	20
		<b>कुल सीट</b>	<b>365</b>

**नोट :** डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की अवधि में 3 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण (इंटरनशिप) संस्था से सम्बद्ध चिकित्सालयों में करना होगा।

- आवेदक को एक ही आवेदन पत्र पर आहर्ता एवं प्रावीण्य सूचि के अनुसार समस्त डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता होगी , पृथक –पृथक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पृथक –पृथक आवेदन प्रस्तुत करने के आवश्यकता नहीं है ।

# **COURSES DESCRIPTION**

## **DEGREE COURSES**

### **1. Bachelor in Physiotherapy (BPT): 4½ Years Degree-**

Physiotherapists assess, plan and implement rehabilitative programs that improve or restore human motor functions, maximize movement ability, relieve pain syndromes, and treat or prevent physical challenges associated with injuries, diseases and other impairments. They apply a broad range of physical therapies and techniques and implement programmes for screening, prevention and treatment of many physical ailments and disorders.

**SCOPE:-** Physiotherapy is an essential part of the health and community/welfare services delivery system. Physiotherapists practice independently of other health care/service providers and also within multidisciplinary rehabilitation/habilitation programmes to prevent, gain, maintain or restore optimal function and quality of life in individuals with loss and disorders of movement.

Physiotherapists are guided by their own code of ethical principles. Thus, they may be concerned with any of the following purposes:

1. Promoting the health and well-being of individuals and the general public/society, emphasizing the importance of physical activity and exercise.
2. Preventing impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities in individuals at risk of altered movement behaviors due to health or medically related factors, socio-economic stressors, environmental factors and lifestyle factors.
3. Providing interventions/treatment to restore integrity of body systems essential to movement, maximize function and recuperation, minimize incapacity, and enhance the quality of life, independent living and workability in individuals and groups of individuals with altered movement behaviors resulting from impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities
4. Modifying environmental, home and work access and barriers to ensure full participation in one's normal and expected societal roles

Physiotherapists may also contribute to the development of local, national and international health policies and public health strategies.

#### **Settings in which physiotherapy is practiced:-**

Physiotherapy is delivered in a variety of settings which allow it to achieve its purpose. Prevention, health promotion, treatment/intervention, habilitation and rehabilitation take place in multiple settings that may include, but are not confined to, the following:

- (1) Community based rehabilitation programmes
- (2) Community settings including primary health care centres, individual homes and field settings
- (3) Education and research centres
- (4) Fitness clubs, health clubs, gymnasia and spas
- (5) Hospices
- (6) Hospitals
- (7) Nursing homes
- (8) Occupational health centres
- (9) Out-patient clinics
- (10) Physiotherapist private offices, practices, clinics
- (11) Prisons
- (12) Public settings (e.g., shopping malls) for health promotion
- (13) Rehabilitation centres and residential homes
- (14) Schools, including pre-schools and special schools
- (15) Senior citizen centres
- (16) Sports centres, clubs
- (17) Workplaces/companies.

*(Source : Model Curriculum Handbook PHYSIOTHERAPY Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India)*

## **2. Bachelor in Occupational Therapy (BOTh):4½ Years Degree -**

Occupational Therapy is a healthrelated profession that deals with therapeutic management of various neuromuscular, musculoskeletal dysfunctions and mental disorders including mental retardation. An Occupational therapist is able to assess, correct or alleviate dysfunctions in terms of human activities. They can help in rehabilitation of children or persons with locomotors impairments, mental retardation or mental illnesses.

**SCOPE-** Hospital set up, Rehabilitationscenter, School for disabled children, De-addiction Centers, Psychiatricclinics, Center for mentally retarded, Child development centers, Industrial Medical Facilities, Private Practice, Geriatric homes, Old age Homes, Social services and council departments.

## **3. Bachelor of X-Ray Radiodiagnosis and Technician(BXRT):3 Years Degree-**

Radiography is the science of taking images of the internal parts of the human body for the purpose of diagnosing diseases and ailments. This includes the use of X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound etc. X-ray Technicians provides images of various body organs, to understand patient's health status and provide treatment as needed, They are also taught how to use radio waves to treat various tumors and other cancerous ailments.

SCOPE- Government and Private Hospitals, Diagnostic centers, as well as Super specialty and Multi specialty Hospital, cancer units in medical colleges and cancer hospitals.

### **PARAMEDICAL DIPLOMA COURSES: 2 YEARS**

#### **1. Diploma in Medical Laboratory Technician**

Medical lab technology is the science that is involved in chemical microscopic immunological bacteriological diagnostic analysis of human fluids like urine, blood, stool , sputum, peritoneal fluid CSF and other specimen.

**SCOPE:-** A person after doing DMLT can have job openings in following arenas- Hospital, Clinics, Health centers, Pathology lab, Pharma companies, Blood Bank, Minor emergency centers, Crime laboratories.

#### **2. Diploma in Microbiology Technician**

Microbiology is a specialized area of biology that deals with living things ordinarily too small to see without magnification. Microbiology subdivided into divisions including bacteriology, virology, mycology, parasitology and others.

**SCOPE:-** Microbiology professional work in almost every industry for ex. Food, Agriculture, Pollution control to Biotechnology, Pharmaceuticals and Health.

### **3. Diploma in Clinical Biochemistry**

The discipline encompasses fundamental and applied research into the biochemical and physiological processes of human and animal life, and application of the resulting knowledge and understanding to the diagnosis, treatment and prevention of disease.

**SCOPE:-** of clinical chemistry is not solely confined to laboratory activities as such, but in daily practice is strongly interrelated with patient care and treatment. And also imply to some extent the practice and study of biochemistry and molecular biology, haematology, immunology, microbiology.

### **4. Diploma in Anesthesia Technician**

It is a diploma level course in specialization in anesthesia. Anesthesia technicians are allied health care professionals. An anesthesia technician takes care of anesthesia administering as well as monitoring and care of patients.

**SCOPE:-** They are expected to work in areas of ICU, CCU, emergency department, surgical wards and operation theatre. After completion of course the students get lucrative pay in the field of anesthesia technology. After experience they may work on hourly basis and can earn a lucrative packages.

### **5. Diploma in Blood Transfusion**

Blood bank technicians, usually trained as phlebotomists, work with patients in various settings, collecting and labeling blood to be used in transfusions. It is a joboriented Diploma course.

**SCOPE:-** Government blood banks, Private blood banks, Government hospitals, Private hospitals, NGOs (Involved in blood banking).

### **6. Diploma in Ophthalmic Assistant**

Ophthalmic Assistant is a person who works with an ophthalmologist .They help ophthalmologist care for patients by taking history ,performing various technical procedures ,tests and preparing patients for various medical and surgical procedures. They provide the ophthalmologist with important information to help diagnose and treat patients.

**SCOPE:-** Eye Clinical setup, Eye hospital, Medical college, Optical companies.

### **7. Diploma in Dialysis Technician**

An allied healthcare professional who operates and maintains dialysis machine for patients with kidney diseases. Kidney dialysis makes the difference between life and death for those who suffer from renal failure. These technicians maintain and operate the equipment used for dialysis, a process that cleanses the blood of metabolic waste products.

**SCOPE:-** Hospitals, Renal clinics, Medical colleges.

### **8. Diploma in Human Nutrition Technician**

Nutritionist are health professionals who create diet for people. Teaching patients about healthy eating, they also go into research.

**SCOPE:-** work as nutrition consultant and advisors, public health promotion officers, community developmental officers, quality and nutrition coordinators, Food technologists.

### **9. Diploma in Radiotherapy Technician**

Radiotherapy also called as radiation therapy, is the treatment of cancer & other diseases with ionizing radiation. The radiotherapy technician works under oncologist, and oncosurgeons and they are responsible for providing a dose of radiotherapy as prescribed.

**SCOPE:-** Hospitals with cancer units, Medical colleges, Research institutes.



## **PARAMEDICAL CERTIFICATE COURSES :01 YEAR**

### **1. Certificate In Respiratory Technician.**

A respiratory technician work with doctors and other health care professional to evaluate ,treat and care for patient who have breathing and other cardiopulmonary dysfunction .They also performs diagnostic tests like pulmonary function test ,do limited physical examination, administer breathing treatment ,record patient's progress and consult with physicians and surgeon on continuing care .

**SCOPE:-** Hospitals, chest & allergy clinics, medical colleges, sports injury centers.

### **2. Certificate In Operation Theatre Technician.**

An O.T. technician helps in pre- operative care of operation theatre like making the apparatus ready for a particular operation, autoclaving, OT technician are also responsible to make the necessary arrangement during the operation also.

**SCOPE:-** Hospitals, Nursing homes, Corporate hospitals, Medical colleges etc.

## ब. सीटों का आरक्षण

समस्त पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर आरक्षण म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति 20 प्रतिषत, अनुसूचित जाति 16 प्रतिषत, अन्य पिछडा वर्ग 14 प्रतिषत हेतु आरक्षित है।

### MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), MGM Medical College-Indore (M.P.)

#### Available Seats Distribution in different Degree/Diploma/Certificate Courses : 2019-20 Session

S.N	Name of Course	Type of Course	Duration	Unreserved					Schedule Caste					Schedule Tribes					OBC					Total Seats
				Open	PHC	MP	FF	IS	Open	PHC	MP	FF	IS	Open	PHC	MP	FF	IS	Open	PHC	MP	FF	IS	
1	बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	Degree	4½ Year	47	1	1	1	-	14	1	1	-	-	17	1	1	1	-	13	-	-	1	-	100
2	बैचलर डिग्री इन आकूपेशनलथेरेपी (बी.ओ.टी.)	Degree	4½ Year	13	1	1	-	-	4	-	-	1	-	5	-	-	1	-	4	-	-	-	-	30
3	बैचलर डिग्री इन एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्नियन	Degree	3 Year	8	1	1	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	20
4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्नियन	Diploma	2 Year	11	1	-	-	1	3	-	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-	-	1	1	25
5	डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्नियन	Diploma	2 Year	8	-	1	-	1	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-	-	-	-	20
6	डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी	Diploma	2 Year	12	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	25
7	डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री	Diploma	2 Year	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	10
8	डिप्लोमा इन डायग्नोसिस टेक्नियन	Diploma	2 Year	8	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	20
9	डिप्लोमा इन ह्यूमन न्यूट्रिशन	Diploma	2 Year	10	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	-	-	-	2	-	-	-	1	20
10	डिप्लोमा इन आथलेटिक असिस्टेंट	Diploma	2 Year	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
11	डिप्लोमा इन ब्लड टेक्नियन	Diploma	2 Year	12	-	-	-	1	3	-	-	-	1	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	25
12	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नियन	Diploma	2 Year	9	1	-	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	1	1	1	-	1	-	20
13	सर्टीफिकेट इन ऑपरेशन थैटर टेक्नियन(ओ.टी.)	Certificate	1 Year	9	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	20
14	सर्टीफिकेट इन रेस्पॉरेट्री टेक्नियन	Certificate	1 Year	9	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	-	-	20
<b>PHC- Physically Handicaped(Divyang)</b>				<b>MP- Military Personnel</b>					<b>FF- Freedom Fighter</b>					<b>IS-In Service Candidate</b>					<b>Total Seats</b>	<b>365</b>				

**IS-** शासकीय सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित , **M.P.** - MILITARY PERSON , **F.F.** - FREEDOM FIGHTER

नोट:- इस सूची में नए पाठ्यक्रम का समावेश किया जा सकता है।

- (1) सीटों का आरक्षण एवं आवंटन मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगा।
- (2) दिव्यांग प्रवर्ग, सैनिक संवर्ग एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के लिए प्रत्येक वर्ग हेतु 3-3 प्रतिषत (क्षैतिज रूप में) सीट आरक्षित रहेंगी।
- (3) तीन (3) प्रतिषत सीट स्वतंत्रता सेनानी तथा सैनिक वर्ग के लिए आरक्षित होगी।
- (4) प्रत्येक वर्ग हेतु 33 प्रतिषत सीट महिला आवेदको के लिये आरक्षित होगी।
- (5) **दिव्यांग प्रवर्ग:-** ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग अथवा अनारक्षित श्रेणी के हैं ), के लिए प्रत्येक श्रेणी में तीन (3) प्रतिषत सीट आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।

**नोट :** दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश हेतु केवल नीचले अंगों की गतिक विकलांगता में 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले आवेदक ही पात्र होंगे 50 से 70 (PH-1) प्रतिशत की विकलांगता के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर 40 प्रतिशत से 50 (PH-2) प्रतिशत के अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे एवं उन्हें अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच. ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। निम्न दिव्यांग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे – 1 हाथों की विकलांगता 2 अंधापन 3 बहरापन 4 पैरों की ७० प्रतिशत से अधिक विकलांगता

### स. प्रवेश हेतु पात्रता

1. म.प्र. राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का पालन विभिन्न पाठ्यक्रमों में सभी उपलब्ध सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया में किया जावेगा। विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण के लाभ हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश/सूचना के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त माना जावेगा। नियमों और विनियमों तथा सीट आवंटन में परिवर्तन की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से दी जावेगी।
2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पैटर्न की 12वीं कक्षा (हायर सेकण्डरी) की परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी विषय (PCB) लेकर उत्तीर्ण की हो एवं हायर सेकण्डरी कक्षा बारहवीं 10+2 परीक्षा अनारक्षित श्रेणी हेतु 40 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 33 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक को अनारक्षित श्रेणी हेतु 50 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद नं मान्यता/1653 (04) दि.3.9.2004 के अनुसार)
3. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा मान्य होने पर मान्यता प्राप्त व्होकेशनल कोर्स के अंतर्गत यदि संबंधित विषय बायोलॉजी समूह से होने पर (10+2 हायर सेकण्डरी) पात्र हो तो इस विषय में मेरिट के आधार पर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार किया जावेगा।
4. प्रवेश की पात्रता के लिए आवेदक की उम्र 31 दिसम्बर 2019 तक न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष (एक्स-रे रेडियोग्राफर डिग्री एवं डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन के लिये आवेदक की न्यूनतम उम्र 26 अगस्त 2019 तक 18 वर्ष) तथा अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तक मान्य होगी। आरक्षित श्रेणी एवं दिव्यांग आवेदक की आयु अधिकतम 30 वर्ष मान्य होगी।
5. विभागीय (शासकीय/इनसर्विस) कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय :- उक्त कर्मचारी केवल द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु ही पात्र होंगे। कर्मचारियों को नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है। अर्थात् डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 06 वर्ष से अधिक की सेवा होना अनिवार्य है। इन आवेदकों के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। सीट लिविंग बॉण्ड विभागीय (शासकीय/इनसर्विस) कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
6. डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश की चयन प्रक्रिया हेतु जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी एवं उक्त सूची में आवेदकों के समान प्राप्तांक होने पर उनकी जन्मतिथि के आधार पर प्रावीण्यता सूची में वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी एवं समान जन्मतिथि होने पर जीव विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी, रसायन, भौतिकी विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
7. डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जावेगी एवं समान कुलांक होने पर आवेदक की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के क्रम में उनके द्वारा प्राप्तांकों को आधार बनाकर की जावेगी- जीव विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी, रसायन, भौतिक। इन सभी में भी समान अंक होने पर उम्र में वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जावेगी।
8. यदि आवेदक ने कक्षा 12वीं वर्ष 2019 के पूर्व उत्तीर्ण की हो तो नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर बनाये गए गेप सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

9. नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारी को सक्षम अधिकारी द्वारा स्पष्ट अन्नापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ निर्धारित आवेदन-पत्र विभाग द्वारा अनुमति एवं अनुशंसा सहित अग्रेषित कर समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्हें विज्ञान विषय (जीव विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी, रसायन, भौतिक) में कक्षा बारहवीं 10+2 हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम चयन हेतु बारहवीं के प्राप्तांको के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची मुख्य आधार होगी। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कार्यानुभव के आधार पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक प्रदान किया जावेंगे एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेंगा। (अधिकतम 20 अंक)
10. म.प्र. के मूल निवासियों को ही प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो अन्य राज्यों के छात्रों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। आरक्षण का लाभ सिर्फ म.प्र. के मूल निवासी को ही देय होगा।
11. काउंसिलिंग के दौरान किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।
12. सभी मार्कसीट्स प्रमाण-पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों में उम्मीदवार का नाम एक सा होना चाहिए। यदि नाम में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो उससे संबंधित वैध दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।
13. उम्मीदवार द्वारा काउंसिलिंग में चयनित पाठ्यक्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तन (बदल) नहीं किया जावेगा।
14. समस्त मूल दस्तावेज काउंसिलिंग के दौरान संस्था में जमा करवा लिए जावेंगे, जो की पाठ्यक्रम अध्ययन पूर्ण करने अथवा आवंटित/प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र देने की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लौटाये जायेंगे। अपने समस्त मूल दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी सी.डी. में एवं दो सेट छायाप्रतियों में जमा करवाना अनिवार्य है।
15. पाठ्यक्रम चयन हेतु काउंसिलिंग के दिन समस्त मूल प्रमाण-पत्रों तथा निर्धारित फीस के साथ महाविद्यालय सभागृह में नियत समय पर स्वयं उम्मीदवार को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
16. काउंसिलिंग में उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और इसके अलग से कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा। उम्मीदवार चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करें। प्रावीण्य सूची संस्था के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जावेगी।
17. उम्मीदवार को काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
18. पैरामेडिकल प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण उपरान्त छात्र-छात्रा एवं सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) एम.पी.आनलाईन पोर्टल के माध्यम से करवाना अनिवार्य है।
19. म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा नियमित सेवारत् शासकीय कर्मचारियों के लिए जो 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं इन सीटों पर केवल पैरामेडिकल पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को ही चयन का लाभ दिया जाएगा एवं सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ अधिष्ठाता/ संचालक) अनुमति देना सुनिश्चित करेंगे।
20. यदि पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को अनुमति इन पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधिष्ठाता/संचालक) जवाबदेह होंगे। (संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. का पृ. पत्र क्र.748-51/स्था/अराज/2007 दिनांक 5.11.2007 के अनुसार)
21. संस्था द्वारा संचालित सह-चिकित्सीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के उपरान्त कोई भी छात्र स्वतंत्र रूप से पैथालाजी लेब, अस्पताल आदि का संचालन नहीं कर सकेगा अपितु आयुर्विज्ञान परिषद/बोर्ड/काउन्सिल से पंजीकृत चिकित्सक के मार्गदर्शन में क्लिनिकल जांच आदि का कार्य सम्पादित कर सकेगा। इस प्रकार का कृत्य मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 13 तथा 24 एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन है। (म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद का पत्र क्र./एफ-296 /याचिका/ 2006 /011 भोपाल दिनांक 20.01.2011 के अनुसार)

22. सह-चिकित्सीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरान्त कोई भी छात्र किसी मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाईयों से संबंधित पर्चा नहीं लिख सकेगा। यह समस्त कार्यवाही वह मान्य अर्हताधारी, पंजीकृत चिकित्सक के निर्देशन तथा मौजूदगी में ही सम्पादित करेगा।
23. बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं (ANM) के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।
24. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित शासकीय कर्मचारी के लिये किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी/(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ संचालक) सुनिश्चित करें।
25. संबंधित कर्मचारी का उक्त प्रशिक्षण में चयन होने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/अधिष्ठाता/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक) सुनिश्चित करेंगे।
26. विभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु एक बार में अधिकतम 02 या 03 आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जावे। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन-पत्र भेजने में प्राथमिकता दी जावे।
27. प्रशिक्षण उपरान्त भी शासन के प्रचलित विभागीय भर्ती, पदोन्नति नियमों के विरुद्ध पदोन्नति पाने का अधिकार नहीं रहेगा।
28. प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन आदेश जारी होने के उपरान्त ही संबंधित संस्था में आदेश की प्रति प्राप्त होने पर ही संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्य मुक्त किया जावे।
29. अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अनुमति प्रमाण-पत्र में सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/अधिष्ठाता/संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) आवेदन पत्र के प्रोफार्मा प्रमाण-पत्र (विभागीय कर्मचारी) में बिन्दु क्र. 02 में यह दर्ज करें कि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र यह जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणीका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान करता हूँ/करती हूँ।
30. विभागीय शासकीय कर्मचारियों को परिषद की परीक्षा में उत्तीर्ण उपरान्त इसी संस्था में 03 माह की प्रेक्टीकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। परिषद की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के उपरान्त अपने मूल विभाग में उपस्थित होंगे एवं परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के पश्चात 03 माह के प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु (इन्टर्नशिप) इसी संस्था में उपस्थित होना होगा।
31. पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी वेब साईट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) पर उपलब्ध रहेंगे। संबंधित उम्मीदवार नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करें। पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित सूचना/पत्राचार नहीं किया जावेगा। पाठ्यक्रम उल्लेखित सीटों को कम या अधिक करने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित है।

#### द. पाठ्यक्रम शुल्क

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र (क्र./पोमेछा/परिपत्र/2004-05/3726 दि. 20.07.2004 एवं कलेक्टर इंदौर कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर के पत्र क्रमांक/पोमेछा/परिपत्र/परिपत्र/2012-13/3660 इंदौर दिनांक 02.07.2012 के अनुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने पालक का आय प्रमाण-पत्र एवं आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करना होगी एवं काउंसलिंग के समय मूल प्रतिलिपि में प्रस्तुत करना होगी।

## " पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण "

म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ/5-14/18155/चि.शि. भोपाल दिनांक 24 मई 2018 के अनुरूप  
स्नातक पाठ्यक्रम बी.पी.टी./बी.ओ.टी./बी.एक्स.आर.टी. हेतु शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 57,140
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1,000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1,000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1,000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5,000
<b>कुल योग रुपये</b>		<b>रुपये 65,140</b>

- नोट: 1. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिये देय शुल्क रुपये 60,140 होगा। अनुत्तीर्ण होने पर प्रति वर्षानुसार शुल्क देय होंगे।
2. सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात ही वापस लौटायी जावेगी।
3. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिषत की स्वतः बढोत्तरी होगी।

### द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 35,660
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1,000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1,000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1,000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5,000
<b>कुल योग रुपये</b>		<b>रुपये 43,660</b>

- नोट : 1. द्वितीय, वर्ष के लिये देय शुल्क रु.38,660/- होगा। अनुत्तीर्ण होने पर प्रति वर्षानुसार शुल्क देय होंगे।
2. सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात ही वापस लौटायी जावेगी।
3. प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारियों को पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
4. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिषत की स्वतः बढोत्तरी होगी।

### एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 24,702
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5000
<b>कुल योग रुपये</b>		<b>रुपये 32,702</b>

- नोट : 1. एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर प्रति वर्षानुसार शुल्क देय होंगे।
2. सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात ही वापस लौटायी जावेगी।
3. प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारियों को पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
4. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिषत की स्वतः बढोत्तरी होगी।

**आवश्यक नोट:**

1. प्रवेशित छात्रों को उपरोक्त निर्धारित शुल्कों के अतिरिक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) काउंसिलिंग की तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।
2. समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का निर्धारित प्रथम वर्ष का शुल्क अनिवार्य रूप से काउंसिलिंग के समय जमा करना होगा। यदि कोई स्नातक एवं डिप्लोमा कोर्स का उम्मीदवार प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम से त्याग पत्र देता है तो सीट लिविंग बॉड में निर्धारित राशि संस्था में जमा करनी होगी। तत्पश्चात ही उसका त्याग पत्र स्वीकार किया जावेगा।
3. किसी विद्यार्थी के महाविद्यालय से निष्कासन किये जाने अथवा विद्यार्थी स्वयं महाविद्यालय छोड़ने या पृथक होने पर महाविद्यालय में जमा किया गया किसी भी प्रकार का शुल्क वापिस नहीं लौटाया जावेगा।
4. बी.पी.टी. एवं बी.ओ.टी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम रु. 2,00,000/- का **सीट लिविंग बॉड निष्पादित कर जमा करवाना** होगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि यदि पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना आवेदक पाठ्यक्रम छोड़ता है तो वह उक्त राशि संस्था में जमा करवायेगा। इसी तरह बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोग्राफर हेतु राशि रुपये 1,25,000/- एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु राशि रुपये 40,000 का सीट लिविंग बॉड निष्पादित करवाकर काउंसिलिंग के दौरान ही जमा करवाना अनिवार्य होगा। **सीट लिविंग बांड प्रवेश दिनांक से लागू माना जावेगा।**
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के नियमों के अनुसार एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म की पूर्ति करने पर नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा की जावेगी। उक्त उम्मीदवार का भारतीय स्टेट बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी भी शाखा में बैंक खाता होना अनिवार्य है।
6. म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन व परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क पृथक से नियमानुसार देय होगा। साथ ही समय-समय पर निर्धारित विशेष अन्य शुल्क भी देय हो सकता है। प्रत्येक श्रेणी के सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को पूर्ण फीस देय होगी।
7. पाठ्यक्रम की निर्धारित कुल फीस नगद/डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से पाठ्यक्रम चयन के समय ही (काउंसिलिंग के दौरान) संस्था MAHSI के बैंक खाते 53003590208 (स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी), भारतीय स्टेट बैंक, एम.वाय.एच. परिसर शाखा के बैंक खाता में तुरन्त जमा कराना अनिवार्य होगा।
8. विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षण एवं अन्य शुल्क समय-समय पर जारी नोटिसों में उल्लेखित/निर्धारित तिथियों के अनुसार द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु जमा करवाने हेतु। यदि किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो विलम्ब शुल्क 20 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से देय होगा।
9. समय-समय पर संस्था द्वारा लागू किये जाने वाले कम्प्यूटर, स्टेशनरी, पत्र-पत्रिका इत्यादि के शुल्क जमा करवाने हेतु।
10. यदि आवेदक पाठ्यक्रम के दौरान किसी वर्ष में अनुत्तीर्ण होता है तो उसके पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ जावेगी एवं बढी हुई अवधि के लिए लागू होने वाले समस्त शुल्क मय परीक्षा शुल्क देय होंगे।



### इ. प्रवेश प्रक्रिया

1. निर्धारित तिथि पर पाठ्यक्रम चयन हेतु सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उपलब्ध सीट के अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं।
2. काउंसलिंग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपका प्रवेश सम्बन्धी दावा निरस्त माना जावेगा।
  - क. हायर सेकेण्डरी कक्षा बारहवीं 10+2 की मूल अंकसूची तथा दो अभिप्रमाणित छायाप्रति।
  - ख. स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (टी.सी./एस.एल.सी.) मूल प्रति होना आवश्यक है। टी.सी. एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
  - ग. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि दशायी गई हो)
  - घ. मूल निवासी प्रमाण-पत्र (दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ)।
  - ङ. यदि लागू हो तो – सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में जारी जाति प्रमाण-पत्र/अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र एवं सी.एम. एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा जिला कलेक्टर द्वारा जारी तत्संबन्धी प्रमाण-पत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश लेने हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है )/सैनिक संवर्ग का प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक कल्याण बोर्ड अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी का प्रमाण-पत्र (दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ)।
  - च. पिता/माता/पालक (माता पिता यदि दोनों नौकरी या व्यवसाय में हो तो) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वर्तमान (01 अप्रैल 2019 की स्थिति में) आय प्रमाण-पत्र अथवा आयकर विभाग में जमा की गई रिटर्न की प्रति अथवा तहसीलदार द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र ।
  - छ. निर्धारित शुल्क नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संस्था MAHSI के बैंक खाते 53003590208 (स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी), भारतीय स्टेट बैंक, एम.वाय.एच. परिसर शाखा के बैंक खाता में देय होगी।
  - ज. सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  - झ. मार्कशीट, सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेजों में नाम भिन्न – भिन्न होने की स्थिति में संबंधित वैध प्रमाण-पत्र/ दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**नोट:** प्रवेश के समय जमा किये गये समस्त मूल दस्तावेज आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त लेखा शाखा, पुस्तकालय, खेलकूद प्रभारी, होस्टल, प्रयोगशाला, एवं अन्य संबंधित विभागों आदि से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करने के उपरान्त की लौटाये जावेगे। **प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल दस्तावेजों के छायाप्रति के दो सेट तथा दो सीडी के रूप में (Scanned Copy) डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराये।**

### छात्रावास :-

डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं हेतु निर्धारित संख्या में छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। जिसके लिए सीटों की उपलब्धता पर निर्धारित छात्रावास शुल्क पृथक से जमा करवाकर सीट आवंटित करवाकर छात्रावास में प्रवेश लिया जा सकता है।

### महत्वपूर्ण नोट :-

1. संबंधित पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किये जावेंगे एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के प्रमाण म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद द्वारा जारी किया जावेंगे।
2. छात्रों द्वारा म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद भोपाल एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा जारी नियम-नियमाकुल, पत्र-परिपत्र एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने के उपरान्त एम.पी. आनलाईन पोर्टल के माध्यम से म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य है।
4. संस्थान के पास इन नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन करने एवं प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बदलाव के अधिकार है जो कि आवेदक पर लागू होंगे।

#### फ. प्रवेश निरस्तीकरण नियम

1. यदि यह पाया जाता है कि विद्यार्थी ने झूठी या अधूरी सूचना के आधार पर प्रवेश लिया है या प्रवेश किसी त्रुटिवश या शंकास्पद स्थिति में दिया गया है, ऐसी स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
2. जो विद्यार्थी निर्धारित तिथि प्रवेश दिनांक से 15 दिन तक पाठ्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करायेंगे उनकी प्रवेश पात्रता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। किसी उचित कारण से देरी होने पर पाठ्यक्रम अधिकारी को सूचना देना आवश्यक है। तत्पश्चात् संबंधित अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।
3. प्रवेश के पश्चात् बिना किसी सूचना के एक सप्ताह तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहने पर पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकता है।
4. यदि छात्र किसी भी प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, कैम्पस के अन्दर या बाहर किसी प्रकार का गलत आचरण करता है, एवं शिक्षण विरोधी गतिविधियों या रेगिंग में भाग लेता है तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
5. यदि छात्र कक्षाओं में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
6. अनुशासनहीनता अथवा दुर्व्यवहार का दोशी पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
7. संस्था प्रमुख अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए छात्र-छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण अनुसंशात्मक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित छात्र-छात्रा का संस्था से निष्कासन/ प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।
8. यदि आवेदक काउंसिलिंग की अन्तिम तिथि के उपरान्त अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन, शपथ पत्र के साथ सीट लिविंग बॉर्ड राशि डिमांड ड्रॉपट द्वारा संस्था को जमा करवानी होगी। उक्त आवेदन पर अधिष्ठाता महोदय द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण की स्वीकृति उपरान्त ही प्रवेश के समय जमा करवाये गये मूल दस्तावेज आवेदक/अधिकृत व्यक्ति को ही लौटाए जावेंगे।
9. यदि प्रमाण पत्रों का सत्यापन आवश्यक हुआ तो आवेदक के संबंधित दस्तावेजों को संबंधित संस्थान में प्रेशित कर सत्यापित करवाया जावेगा, जिसमें व्यय होने वाली राशि आवेदक द्वारा वहन की जावेगी।

#### ग. विद्यार्थियों के लिय आचरण संहिता :-

1. महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतः अनुशासित रहे एवं महाविद्यालय के नियमों का ईमानदारी से पालन करें।
2. सैद्धांतिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत तथा प्रायोगिक कक्षाओं में 85 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित छात्र को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं दी जावेगी जिससे उनकी पाठ्यक्रम अवधी बढ जावेगी एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित विभाग को आवेदन अग्रेषित नहीं किया जावेगा।
3. अधिष्ठाता महोदय द्वारा परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु उपयुक्त एवं संतोषजनक कारण होने पर ही निर्धारित उपस्थिति में से 5 प्रतिशत उपस्थिति के लिए ही अनुसंशा की जा सकती है।
4. प्रत्येक छात्र व उसके पालक की जवाबदारी होगी समय-समय पर वो कक्षा में उपस्थिति प्रतिशत तथा पढ़ाई संबंधित जानकारी लेते रहें।
5. डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए नीला एप्रेन तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए सफेद एप्रेन पहनने पर ही विद्यार्थी को कक्षा/लेब में प्रवेश दिया जाएगा।
6. छात्रावास सुविधा डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अतः रहने की व्यवस्था छात्र को स्वयं करना होगी।

## ज. महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : **05-08-2019** शाम 4 बजे तक
2. प्रावीण्य सूची की घोषणा : **14-08-2019**
3. आपत्ति दर्ज करवाने हेतु अंतिम तिथि : **16-08-2019**  
(प्रावीण्य सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति लिखित रूप से MAHSI कार्यालय, इन्दौर में प्रस्तुत करें)
4. काउन्सलिंग द्वारा प्रवेश एवं फीस जमा करने की तिथियाँ  
डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु : **26-08-2019**  
डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु : **27-08-2019 एवं 28-08-2019**
5. नियमित कक्षाएं प्रारम्भ होने की तिथि : **02-09-2019**

## काउन्सलिंग : -

प्रवेश हेतु काउंसलिंग उपरोक्त तिथियों पर प्रातः 09.00 बजे से निम्नानुसार क्रम में प्रावीण्य सूची एवं सीटों की उपलब्धता के आधार पर आयोजित की जावेगी :-

1. सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी श्रेणी (डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों हेतु)
2. अनुसूचित जाति
3. अनुसूचित जनजाति
4. अन्य पिछड़ा वर्ग
5. अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग की शेष बची हुई सीटों के लिए

- नोट: 1. उपरोक्त आरक्षित श्रेणियों (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) में उपयुक्त आहर्ताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त सीटों की पूर्ति म.प्र. शासन के प्रवेश सम्बन्धी नियमों के अनुसार निम्न क्रम से की जावेगी :- अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों के विरुद्ध अनुसूचित जाती के आवेदकों द्वारा , अनुसूचित जाती की रिक्त सीटों के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति आवेदकों द्वारा , अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाती की रिक्त सीटों के विरुद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा एवं उपरोक्त तीनों आरक्षित श्रेणी के आहर्ताधारी उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्तियों के विरुद्ध प्रावीण्य सूचि के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के आहर्ताधारी उपयुक्त आवेदक द्वारा ।
2. मिलिट्री पर्सन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उक्त सीटों पर जिस श्रेणी से उक्त सीटें आवंटित हैं उसी श्रेणी के स्वतंत्र (OPEN) आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा ।
3. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया हेतु काउंसलिंग आयोजित की जावेगी , जिसकी प्रावीण्य सूचि , तिथियों एवं स्थान की सूचना मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट एवं संस्था के नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रसारित की जावेगी , पृथक से कोई सूचना पत्र /कॉल लेटर आदि जारी नहीं किये जावेंगे ।



# एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,  
(स्वशासी संस्था), इन्दौर (म.प्र.)

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र, वर्ष 2019

आवेदन क्रमांक .....

कार्यालयीन उपयोग हेतु
फीस प्राप्त हुई
रूपये
रसीद क्र.
दिनांक

1. आवेदक का पूरा नाम {हिन्दी में} .....  
आवेदक का पूरा नाम {अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में} .....
2. लिंग: महिला/पुरुष .....
3. पिता/पति का नाम {अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में}.....
4. पिता/पति का नाम {हिन्दी के अक्षरों में} .....
5. माता का नाम {हिन्दी के अक्षरों में} .....{अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में} .....
6. श्रेणी (Category):- {संबंधित श्रेणी पर / का निषान लगाये} अनारक्षित (UR)/अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/स्वतंत्रता सेनानी (Freedom Fighter)/दिव्यांग (PHC)/सैनिक (Military Personnel).
7. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नम्बर (यदि लागू हो तो) .....
8. स्थायी पूर्ण पता: .....  
.....दूरभाष नं.....
9. मोबाइल नं.....ई-मेल .....
10. स्थानीय पूर्ण पता:- .....  
.....दूरभाष नं.....
11. मोबाइल न .....ई-मेल .....
12. जन्म दिनांक.....शब्दों में जन्म दिनांक.....
13. (आयु दिनांक 31.12.2019) .....वर्ष .....माह.....दिन.....
14. जन्म स्थान.....जिला.....राज्य.....राष्ट्रीयता.....
15. उम्मीदवार का आधारकार्ड नं.....समग्र आई.डी.....
16. परिवार की समग्र आई.डी.....
17. म.प्र. का मूल निवासी (है/नहीं)..... मूल निवासी राज्य का नाम .....

राजपत्रित अधिकारी  
द्वारा अभिप्रमाणित  
पासपोर्ट आकार का  
वर्तमान का फोटो  
चिपकाएँ

18. स्थानीय अभिभावक का पूरा नाम एवं पता (बाहरी अभ्यर्थियों के लिये).....  
 .....दूरभाष .....मोबाईल नं.....
19. पिता का व्यवसाय.....माता का व्यवसाय.....पति/पत्नी का व्यवसाय.....  
 एवं परिवार की सम्पूर्ण वार्षिक आय.....

आवेदन शुल्क:- आवेदक को आवेदन पत्र का शुल्क राशि रुपये 500/- (सामान्य वर्ग) एवं रुपये 300/- (आरक्षित वर्ग) कार्यालय में उपस्थित होकर नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट या RTGS/NEFT द्वारा संस्था MAHSI के बैंक खाते " **स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी** " स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया , एम.वाय. हॉस्पिटल शाखा, इन्दौर में बैंक खाता क्रमांक 53003590208 (आई.एफ.सी. कोड SBIN0030359) में जमा कर बैंक रसीद की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश पात्रता रद्द हो जावेगी।

## 20. शैक्षणिक योग्यता:-

परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	विषय	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हायर सेकेन्डरी 10+2			जीवविज्ञान/बायोटैक्नालॉजी			
			रसायनशास्त्र			
			भौतिकशास्त्र			
			कुल अंक (PCB)			
			कुल प्राप्तांक (समस्त विषय)			

## 21. कृपया निम्नांकित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें:-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणीकरण	स्कूटिनी द्वारा प्रमाणित	प्रवेश समिति द्वारा प्रमाणित	टिप्पणी
क	कक्षा 10 वीं की अंकसूची				
ख	कक्षा 12 वीं की अंकसूची				
ग	जन्म प्रमाण-पत्र				
घ	माइग्रेशन की मूल प्रति				
ड	मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)				
च	जाति प्रमाण-पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी)				
छ	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)				
ज	यदि लागू हो तो -जाति प्रमाण पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (पृष्ठ क्र. 11 में उल्लेखित अनुसार)/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र (जिला कलेक्टर द्वारा जारी)/ सैनिक का प्रमाणपत्र				
झ	गेप सर्टिफिकेट (यदि लागू हो तो)				
ण	आधार कार्ड				

नोट: सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को आवेदन-पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 1.नियमित सेवानियुक्ति आदेश 2.कार्यभार ग्रहण करने का पत्र(ज्वाइनिंग प्रमाण-पत्र) 3. नियमितीकरण संबंधि आदेश

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। यदि इसमें कोई जानकारी अपूर्ण एवं गलत पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक..... पिता/माता/पालक के हस्ताक्षर..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

- नोट:- – आवेदक एक ही फॉर्म भरकर सभी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकता है।  
– प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल दस्तावेजों के छायाप्रति के दो सेट तथा दो सीडी के रूप में डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराये।

**शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु . वर्ष 2019**

श्री/श्रीमती.....पद.....  
विभाग का नाम.....नियुक्ति की दिनांक.....  
को पैरामेडिकल द्वि वर्षीय डिप्लोमा/एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इजाजत दी जाती है। उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

सील एवं मोबाइल नं.

( अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक )

नोट:- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी विभाग के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जानेवाले शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी/(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक) उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता हूँ।

हेल्पलाईन नम्बर :- 8839234365, 8878600647, 9958471898, 9826370184



**M.G.M. Allied Health Sciences Institute (MAHSI)**  
**MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS AUTONOMOUS SOCIETY,**  
**INDORE (M.P.)**


**ACKNOWLEDGMENT – 2019**

Received Application Form No.....

Name of applicant .....

on Date ..... for admission to Paramedical Degree/Diploma/Certificate  
Courses , 2019-20 Session .

**Receiver's Signature**



**ROUTE MAP TO REACH MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI)**